उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-12/2018/एस-2-67(2)/दस-2018-87(326)/78
लखनऊ :: दिनॉक:: 30 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्रीमती माया पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, बरेली मण्डल, बरेली के अवकाश अवधि में रहने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री सिद्धार्थ कुमार गौतम, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, बरेली मण्डल, बरेली के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें।

2- श्री गौतम को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

हरिश्चन्द्र
<u>संख्या-12/2018/एस-2-67(3)/दस-2018, तददिनॉक।</u> उप सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
2- जिलाधिकारी, बरेली।
3- उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी, बरेली ।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।